

18/11/19

पत्रावली पेश की, वकील अपीलार्थ या अपीलार्थ कोर्ट  
भी उपस्थित नहीं है। न्यायालय सत्र सत्र 2 मिनट  
में पुकार (हजुर) के आकर भी कोर्ट उपस्थित नहीं है।  
इंडोरीका डिंक 25/9/18 में वकील अपीलार्थ को रीपोजिट  
के समकालीन पेश करने के इंडोरी डिपेंडेंस के बाद  
भी अभी तक पालना भी नहीं की गई। अपीलार्थ पर  
द्वारा न्यायालय इंडोरी की कसूर भी गई। लिहाजा  
माफला इंडम लाजरी, इंडम जैवी एवं इंडम पालना  
में खारिज किया जाता है।

पत्रावली केवल शुभाहोका नेत्र ही कम है,

राखिल इफतर है।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर